

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 41/2017

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री बीरमदेव उम्र 33 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी रारोती जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 13.08.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री बीरमदेव पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी रारोती जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना बारां सदर क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध शराब बिक्री, लडाईं झगडा आदि की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2007 से 2017 की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (5) एवं 384,388,389,120 B IPC (1) के तहत दर्ज हुये है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध थाने मे 41/110 सी.आर.पी.सी. के तहत भी कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं०	निर्णय न्यायालय
1.	130/2007	19/54 एक्साइज एक्ट	110/25.08.2007	सजा/15.03.2008
2.	36/2010	19/54 एक्साइज एक्ट	25/28.02.2010	सजा/10.08.2011
3.	72/2011	19/54 एक्साइज एक्ट	53/18.03.2011	सजा/07.07.2011
4.	11/2016	19/54 एक्साइज एक्ट	06/19.01.2016	पेंडिंग कोर्ट
5.	65/2016	19/54 एक्साइज एक्ट	33/24.02.2016	पेंडिंग कोर्ट
6.	275/2017	384,388,389,120B IPC	पेंडिंग कोर्ट	पेंडिंग कोर्ट

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 03 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना बारों सदर में वर्ष 2007 से 2017 की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (5) एवं 384,388,389,120 B IPC (1) के तहत दर्ज हुये हैं। गैरसायल अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अतः मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना बारों सदर द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर में पुलिस थाना किशनगंज जिला बारों किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना बारों सदर में वर्ष 2007 से 2017 की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (5) एवं 384,388,389,120 B IPC (1) के तहत दर्ज हुये हैं। गैरसायल अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री बीरमदेव पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी रारोती जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 03 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट के तहत न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री बीरमदेव पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी रारोती जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना बारों सदर से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री बीरमदेव पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी रारोती जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना बारों सदर क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रूपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 25.08.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना बारां सदर जिला बारां को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना बारां सदर से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां

